भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 57
03 फरवरी, 2026 को उत्तरार्थ

विषयः- 'लैंड पूलिंग' के लिए किसानों को मुआवजा

***57. श्री पी. वी. मिधुन रेड्डीः**

क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) केन्द्र सरकार द्वारा शहरी अथवा राजधानी क्षेत्र की बड़ी परियोजनाओं में 'लैंड पूलिंग' और उचित मुआवजे के लिए क्या मानदंड अथवा सर्वोत्तम पद्धतियां निर्धारित की गई हैं,

(ख) क्या केन्द्र अथवा इसकी संस्थाओं द्वारा अमरावती क्षेत्र में 'लैंड पूलिंग' संबंधी परिणामों और किसानों की शिकायतों के संबंध में कोई आकलन या समीक्षा की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय कृषि निकायों द्वारा भूमि के उपयोग में बदलाव संबंधी बड़े स्तर की परियोजनाओं के दौरान कृषि आय और आजीविका की सुरक्षा के लिए किन उपायों की सिफारिश की गई है; और

(घ) केन्द्र द्वारा राजधानी संबंधी भूमि विस्तार परियोजनाओं से प्रभावित कृषक समुदायों को क्या सहायता प्रदान की गई है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"'लैंड पूलिंग' के लिए किसानों को मुआवजा" के संदर्भ में लोक सभा में 03 फरवरी 2026 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 57* के भाग (क) से (घ) तक के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क): भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, नगर नियोजन सहित शहरी नियोजन का कार्य शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों का है। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/सलाहों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहयोग करती है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने शहरी एवं क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण एवं कार्यान्वयन दिशानिर्देश, 2014 जारी किए हैं, जिनमें लैंड पूलिंग/भूमि पुनर्व्यवस्थापन/विकास योजनाओं को नियोजित शहरी विस्तार के लिए सहायक उपकरण के रूप में दर्शाया गया है, जिन्हें राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा स्थानीय कानूनों और संदर्भ के अनुसार अपनाया/अनुकूलित किया जाना है।

(ख): अमरावती क्षेत्र के लिए लैंड पूलिंग आंध्र प्रदेश सरकार/संबंधित राज्य प्राधिकरणों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। अमरावती में लैंड पूलिंग के परिणामों और किसानों की शिकायतों पर केंद्र सरकार द्वारा कोई आकलन/समीक्षा नहीं की गई है।

(ग): भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013) सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के लिए एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जो भूस्वामियों को उचित मुआवजा, अधिग्रहण प्रक्रिया में पारदर्शिता और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए अनिवार्य प्रावधान सुनिश्चित करता है। इस अधिनियम में सामाजिक प्रभाव आकलन, प्रभावित परिवारों की सहमति, बाजार मूल्य से जुड़ा बढ़ा हुआ मुआवजा और भूस्वामियों एवं अन्य प्रभावित व्यक्तियों की आजीविका और हितों की रक्षा के लिए सुरक्षा उपाय अनिवार्य किए गए हैं।

(घ): पूंजीगत भूमि विस्तार परियोजनाओं से प्रभावित कृषि समुदायों को वित्तीय मुआवजा, पुनर्वास पैकेज और अनुदान सहित सहायता प्रदान की जाती है।

*****